भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2838

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: संरक्षित खेती

2838. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में संरक्षित खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का इकाई के आकार के अनुसार (इकाइयों का वर्गीकरणः 500 वर्ग मीटर से कम, 500-1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर से अधिक) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संरक्षित खेती योजनाओं के तहत लाभार्थियों (श्रेणियाँ: लघु, सीमांत, अजा/अजजा, महिला किसान) की संख्या के साथ-साथ औसत इकाई आकार और प्रदान की गई औसत सब्सिडी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एम.आई.डी.एच./एन.एच.बी. के तहत पॉली हाउस, ग्रीनहाउस और शेड-नेट हाउस के लिए निर्धारित प्रति वर्ग मीटर लागत मानदंडों का व्यौरा क्या है और क्या ये मानदंड बड़े व्यावसायिक और लघु-स्तरीय संरचनाओं के बीच अंतर करते हैं;

(घ) क्या सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए मौजूदा संरक्षित खेती मॉडल की सामर्थ्य और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया है, जिसमें औसत किसान योगदान और ऋण तक पहुंच का व्यौरा शामिल है;

(ङ) क्या राज्यों या संस्थानों से कम लागत वाले, छोटे आकार के संरक्षित खेती मॉडल के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान मानदंडों के तहत प्रति इकाई औसत सब्सिडी राशि और आवश्यक औसत किसान योगदान का आकार-वार और राज्य-बार ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले पांच वर्षों के दौरान एम.आई.डी.एच. के संरक्षित खेती घटकों के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि के साथ-साथ इस घटक पर खर्च किए गए कुल एम.आई.डी.एच. बजट के अनुपात का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): सरकार देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना कार्यान्वित कर रही है। एमआईडीएच योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, अतः राज्य स्तर पर औसत इकाई आकार और औसत सब्सिडी के ब्यौरे के साथ संरक्षित खेती योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का श्रेणी-वार ब्यौरा रखा जाता है। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किए गए कुल क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आकार-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) लघु संरचनाओं सहित विभिन्न आकारों के लिए पॉली हाउस, ग्रीनहाउस और शेडनेट मकानों के लिए एमआईडीएच के अंतर्गत निर्धारित प्रति वर्ग मीटर लागत मानकों का ब्यौरा निम्नानुसार है। बड़ी वाणिज्यिक संरचनाओं के मामले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से परियोजना मोड में अतिरिक्त घटकों के साथ सब्सिडी प्रदान की जाती है, तथापि, परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए गणना की गई लागत जहां कहीं भी लागू हो, एमआईडीएच लागत, मानदंडों के अनुसार होती है।

घटक	**लागत मानदंड**
1. पॉली हाउस/हाइब्रिड/रिट्रैक्टेबल संरचनाएं	
(क) पंखा और पैड प्रणाली	1800 रूपए/वर्ग मीटर (क्षेत्र 500 वर्ग मीटर तक) 1600 रूपए/वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर) 1500 रूपए /वर्ग मीटर (>1008 वर्ग मीटर 2080 वर्ग मीटर तक) 1450 रूपए/वर्ग मीटर (>2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर)
(ख) प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली	
I. ट्यूबलर/ आयताकार संरचना	1200 रूपए/वर्ग मीटर (क्षेत्र 500 वर्ग मीटर तक) 1050 रूपए/वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर) 1000 रूपए /चौ.मी. (>1008 वर्ग मीटर 2080 वर्ग मीटर तक) 950 रूपए/वर्ग मी. (>2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर)
ii. बांस/केबल पर्लिन संरचना	450 रूपए/वर्ग मीटर।
2. शेड नेट/एग्रो टेक्सटाइल नेट हाउस	
(a) ट्यूबलर/आयताकार संरचना	710 रूपए/वर्ग मीटर।
(ख) बांस/केबल पर्लिन संरचना	450 रूपए/वर्ग मीटर।

नोट: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, टीएसपी और अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मामले में उपर्युक्त दरें 15 प्रतिशत अधिक होंगी

(घ): सरकार ने एमआईडीएच और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत कार्यकलापों को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के लिए संरक्षित खेती मॉडलों की वहनीयता और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन किया है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभव से संकेत मिलता है कि सब्सिडी, संस्थागत ऋण और किसान के योगदान वाली संयुक्त वित्तपोषण संरचना वित्तीय रूप से सतत तरीके से संरक्षित खेती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के लिए निरंतर वहनीयता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के अनुभव, तकनीकी विकास और हितधारकों से प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए एमआईडीएच और एनएचबी के तहत लागत मानदंडों और सब्सिडी पैटर्न की समय-समय पर समीक्षा और इनमें संशोधन किया जाता है।

(ङ): एमआईडीएच के अंतर्गत राज्यों अथवा संस्थानों से कम लागत, छोटे आकार के संरक्षित खेती मॉडलों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और तदनुसार इस योजना के अंतर्गत बांस/केबल पर्लिन आधारित पॉलीहाउस और शेडनेट/एग्रो टेक्सटाइल नेट हाउस, प्लास्टिक/नॉन-वुवन क्लोथ टनल्स और वॉक-ज टनल्स जैसी कम लागत वाली संरक्षित संरचनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

(च): एमआईडीएच योजना के तहत, पूरे देश में सभी राज्यों के लिए सभी आकारों के लिए अधिकतम पात्र लागत की @ 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है और परियोजना की शेष लागत अर्थात् 50% लाभार्थी अर्थात् किसान के योगदान द्वारा वहन की जाती है।

(छ): पिछले पांच वर्षों के दौरान एमआईडीएच के संरक्षित खेती घटकों के अंतर्गत आबंटित, जारी किए गए/उपयोग किये गए फंड का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा और इस घटक पर खर्च किए गए समग्र एमआईडीएच बजट के अनुपात का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध I

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में संरक्षित खेती के तहत कवर किए गए कुल क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और आकारवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

राज्य	**500 वर्ग मीटर से कम**	**500-1000 वर्ग मीटर**	**>1000 वर्ग मीटर**
आंध्र प्रदेश	1.92	0.60	17.03
अरुणाचल प्रदेश	4.95	0.00	0.00
असम	4.50	4.10	0.00
बिहार	0.00	0.25	11.06
छत्तीसगढ़	24.68	0.00	4.96
गोवा	0.00	0.00	0.07
गुजरात	0.00	0.00	12.99
हरियाणा	0.00	0.00	18.80
हिमाचल प्रदेश	4.17	1.88	0.94
जम्मू और कश्मीर	1.25	3.09	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	226.03
केरल	4.68	0.00	0.12
लद्दाख	4.60	0.00	2.29
मध्य प्रदेश	0.00	0.71	22.86
महाराष्ट्र	0.00	20.41	24.06
मणिपुर	0.65	0.00	0.00
मेघालय	2.70	0.00	0.00
मिजोरम	6.42	0.00	0.00
नागालैंड	6.50	0.00	0.00
ओडिशा	1.31	0.00	3.70
पंजाब	27.74	0.00	40.67
राजस्थान	0.00	0.10	184.79
सिक्किम	8.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	17.10	91.38	29.46
तेलंगाना	1.40	2.34	1.62
त्रिपुरा	2.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.25	0.87	122.55
उत्तराखंड	27.47	1.65	0.50
पश्चिम बंगाल	32.75	0.00	1.11
कुल	**185.05**	**127.38**	**725.61**

स्रोत: जैसा कि राज्यों द्वारा वेब पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है।

अनुबंध II

पिछले पांच वर्षों के दौरान एमआईडीएच के संरक्षित खेती घटकों के तहत आवंटित, जारी/उपयोग किये गए राज्य-वार एवं वर्ष-वार फंड का विवरण और इस घटक पर खर्च किए गए समग्र एमआईडीएच बजट का अनुपात निम्नानुसार है:

रूपए लाख में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	आवंटित फंड	उपयोग किया गया फंड	उपयोग का प्रतिशत	आवंटित फंड	उपयोग किया गया फंड	उपयोग का प्रतिशत	आवंटित फंड	उपयोग किया गया फंड	उपयोग का प्रतिशत	आवंटित फंड	उपयोग किया गया फंड	उपयोग का प्रतिशत	आवंटित फंड	उपयोग किया गया फंड	उपयोग का प्रतिशत
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	4680.00	2277.00	48.65	4622.00	3504.00	75.81	1933.00	1195.00	61.82	2617.00	523.00	19.98	2568.00	2008.00	78.19
अरुणाचल प्रदेश	901.00	0.00	0.00	1801.00	0.00	0.00	843.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	131.00	131.00	100.00
असम	681.00	549.00	80.62	1500.00	1181.00	78.73	1106.00	1106.00	100.00	957.00	54.00	5.64	5796.00	861.00	14.86
बिहार	98.00	27.00	27.55	165.00	136.00	82.42	14.00	14.00	100.00	120.00	93.00	77.50	1102.00	949.00	86.12
छत्तीसगढ़	2209.00	1413.00	63.97	3174.00	2104.00	66.29	3799.00	3414.00	89.87	3567.00	1744.00	48.89	4155.00	3326.00	80.05
गोवा	122.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	23.00	2.00	8.70	15.00	4.00	26.67	82.00	5.00	6.10
गुजरात	1391.00	1343.00	96.55	2012.00	1215.00	60.39	2423.00	1074.00	44.33	2226.00	761.00	34.19	2246.00	1176.00	52.36
हरियाणा	7240.00	4394.00	60.69	6980.00	3436.00	49.23	4389.00	3532.00	80.47	3952.00	2306.00	58.35	3010.00	1638.00	54.42
हिमाचल प्रदेश	1713.00	501.00	29.25	852.00	96.00	11.27	876.00	184.00	21.00	1211.00	135.00	11.15	283.00	203.00	71.73
जम्मू और कश्मीर	394.00	0.00	0.00	4469.00	71.00	1.59	391.00	49.00	12.53	2850.00	47.00	1.65	653.00	237.00	36.29
झारखंड	1651.00	203.00	12.30	1346.00	0.00	0.00	1352.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	1185.00	407.00	34.35
कर्नाटक	4864.00	3823.00	78.60	3286.00	1436.00	43.70	3273.00	2486.00	75.95	2033.00	1091.00	53.66	2364.00	6555.00	277.28
केरल	457.00	299.00	65.43	289.00	187.00	64.71	457.00	75.00	16.41	556.00	58.00	10.43	780.00	411.00	52.69
लद्दाख	583.00	254.00	43.57	1573.00	212.00	13.48	367.00	51.00	13.90	245.00	48.00	19.59	279.00	145.00	51.97
मध्य प्रदेश	1766.00	313.00	17.72	1528.00	362.00	23.69	1294.00	432.00	33.38	1582.00	726.00	45.89	2644.00	1697.00	64.18
महाराष्ट्र	4462.00	701.00	15.71	4627.00	281.00	6.07	2522.00	1555.00	61.66	3505.00	1969.00	56.18	9787.00	7780.00	79.49
मणिपुर	494.00	186.00	37.65	452.00	250.00	55.31	249.00	57.00	22.89	631.00	14.00	2.22	448.00	151.00	33.71
मेघालय	3442.00	202.00	5.87	1058.00	140.00	13.23	225.00	0.00	0.00	1667.00	90.00	5.40	346.00	125.00	36.13
मिजोरम	8212.00	676.00	8.23	1499.00	0.00	0.00	2196.00	112.00	5.10	2329.00	161.00	6.91	31.00	28.00	90.32
नागालैंड	202.00	202.00	100.00	2183.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00	6890.00	0.00	0.00	534.00	327.00	61.24
ओडिशा	1300.00	424.00	32.62	876.00	448.00	51.14	548.00	393.00	71.72	600.00	289.00	48.17	626.00	571.00	91.21
पुदुचेरी	26.00	2.00	7.69	14.00	5.00	35.71	5.00	1.00	20.00	11.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33
पंजाब	1862.00	606.00	32.55	1273.00	329.00	25.84	1263.00	1179.00	93.35	617.00	0.00	0.00	867.00	902.00	104.04
राजस्थान	2417.00	2002.00	82.83	2499.00	510.00	20.41	2887.00	1755.00	60.79	2340.00	255.00	10.90	9375.00	3908.00	41.69

सिक्किम	3838.00	560.00	14.59	10895.00	493.00	4.53	6560.00	275.00	4.19	6081.00	0.00	0.00	726.00	541.00	74.52
तमिलनाडु	3807.00	4731.00	124.27	2787.00	460.00	16.51	2163.00	2104.00	97.27	5002.00	1227.00	24.53	1483.00	1104.00	74.44
तेलंगाना	704.00	121.00	17.19	561.00	61.00	10.87	481.00	291.00	60.50	553.00	0.00	0.00	1165.00	1041.00	89.36
त्रिपुरा	496.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	389.00	238.00	61.18
उत्तर प्रदेश	2846.00	2632.00	92.48	1734.00	1151.00	66.38	1906.00	1102.00	57.82	1716.00	573.00	33.39	1669.00	582.00	34.87
उत्तराखंड	2047.00	861.00	42.06	2249.00	911.00	40.51	1790.00	1649.00	92.12	1082.00	315.00	29.11	1650.00	1036.00	62.79
पश्चिम बंगाल	1501.00	558.00	37.18	1670.00	300.00	17.96	1858.00	583.00	31.38	1633.00	549.00	33.62	2606.00	980.00	37.61
कुल	**66416.00**	**29861.00**	**44.96**	**68567.00**	**19279.00**	**28.12**	**47771.00**	**24670.00**	**51.64**	**57743.00**	**13032.00**	**22.57**	**58986.00**	**39065.00**	**66.23**

नोट: उपयोग किए गए फंड में पिछले वर्षों के स्पिल ओवर फंड शामिल हैं।

स्रोत: जैसा कि राज्यों द्वारा वेब पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है।

*****